



बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

ऋण अवभार प्रमाण –पत्र प्राप्त करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया –

- सर्वप्रथम बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा निबंधन कार्यालय को ऋण अवभार प्रमाण– पत्र निर्गत करने संबंधी पत्र के साथ निबंधन कार्यालय के **RTPS Counter** पर आवेदन एवं शुल्क जमा करें । शुल्क की गणना <https://biharregd.bihar.gov.in/> पर जाकर इस निमित्त प्रकाशित तालिका से किया जा सकता है। ।
- लोक सेवा अधिकार अधिनियम ,2011 में वर्णित अवधि के अन्दर आपका ऋण अवभार प्रमाण– पत्र कार्यालय में बन कर तैयार रहेगा जिसे आप उस निबंधन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- ऋण अवभार प्रमाण– पत्र की कम्प्युटर जनित प्रति <https://biharregd.bihar.gov.in/> पर जाकर इस निमित्त दिये गये लिंक का उपयोग कर भी प्राप्त कर सकते हैं।